रजिस्टर्ड नं० एल०-33/एस० एम०/13-14/96.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शुक्रवार, 19 जुलाई, 1996/28 आषाढ़, 1918

हिमाचल प्रदेश सरकार

श्रम एवं रोजगार विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 2 जुलाई, 1996

संख्या 23-13/88-श्रम.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश दुकान एवं वाणिज्यक स्थापन अधिनियम, 1969 (1970 का 10) की धारा-1 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निदेश देते हैं कि उपरोक्त अधिनियम के समस्त उपबन्ध नगर पंचायत रिकांगपिओ, जिला किन्नौर की सीमाओं के भीतर आने वाली समस्त दुकानों और वाणिज्यिक संस्थानों पर, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

आदेश द्वारा,

एस० एस० सिद्धू,
वित्तायुक्त एवं सचिव।

2211-राजपत्र/96-19-7-96—1,222

मूल्य : 1 रुपया।

[*Authoritative English text of Government Notification No.* 23-13/88 *Shrum, dated* 2-7-1996 *as required under Clause* (3) *of Article* 348 *of the Constitution of India*].

LABOUR AND EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, *the* 2*nd July*, 1996

No. 23-13/88-Shrum. –In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the Himachal Pradesh Shops and Commercial Establishment Act, 1969 (Act No. 10 of 1970) the Governor of Himachal Pradesh, is pleased to direct that all the provisions of the aforesaid Act shall apply to all Shops and Commercial Establishments within the limits of Nagar Panchayat, Recongpeo, District Kinnaur, from the date of publication of this Notification in the Official Gazette.

By order,

S. S. SIDHU,
Financial Commissioner-cum-Secretary.

श्रम एवं रोजगार विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 8 जुलाई, 1996

संख्या श्रम (फ) 4-3/94.––हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है कि 100 प्रतिशत एक्सपोर्ट ओरियेन्टीड इकाईयों को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की प्रथम अनुसूची में जोड़ा जाए;

अतः, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 40 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची में निम्नलिखित मद को जोड़ने के सहर्ष आदेश देते हैं :—

"23. 100 प्रतिशत एक्सपोर्ट ओरिवेन्टीड इकाईयां" ।

आदेश द्वारा,

एस० एस० सिद्धू,
वित्तायुक्त एवं सचिव ।

[*Authoritative english text of this department Notification No. Shram* (*A*) 4-3/94, *dated* 8-7-1996 *as required under clause* (3) *of Article* 348 *of the Constitution of India*].

LABOUR AND EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, *the* 8*th July*, 1996

No. Shram (A) 4-3/94.—Whereas the Governor of Himachal Pradesh is of the opinion that it is expedient and necessary in the public interest to add the 100% Export Oriented Units to the First Schedule of the Industrial Disputes Act, 1947;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 40 of the Industrial Disputes Act. 1947 (Act, No. 14 of 1947), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to add the following in the First schedule of the *ibid* Act:—

"23. 100 % Export Oriented Units".

By order,

S. S. SIDHU,
Financial Commissioner-cum-*Secretary*.

जन जातीय विकास विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 15 जुलाई, 1996

संख्या टी0 डी0 (ए) 4-7/82-III.—इस विभाग की अधिसूचना समसंख्यक दिनांक 25 मई, 1996 तथा 27 मई, 1996 के निरन्तरीकरण में, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश जन-जातीय सलाहकार परिषद् नियमावली, 1976 के नियम 3 (1) तथा नियम 9 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री सुख राम, संसद सदस्य, (लोक सभा) को जन-जातीय सलाहकार परिषद् का सदस्य मनोनीत करने के सहर्ष आदेश करते हैं जो कि हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित क्षेत्र (हिमाचल प्रदेश) आदेश, 1975 के अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्र घोषित किए गए हैं ।

श्री सुख राम, संसद सदस्य, इस परिषद् के तब तक सदस्य रहेंगे जब तक कि वे लोक सभा के सदस्य रहते हैं ।

इस परिषद् के सरकारी सदस्यों को निम्न वर्णित यात्रा भत्ता एवम् दैनिक भत्ता देय होगा:—

सरकारी सदस्य अपने पदानुसार यात्रा एवम् दैनिक भत्ते के हकदार होंगे ।

गैर-सरकारी सदस्य इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 21 जुलाई, 1987 के अनुरूप यात्रा एवम् दैनिक भत्ते के हकदार होंगे ।

निदेशक, समाज एवम् महिला कल्याण, हिमाचल प्रदेश, गैर-सरकारी सदस्यों के यात्रा एवम् दैनिक भत्ते की अदायगी के सम्बन्ध में नियन्त्रक अधिकारी होंगे ।

आदेश द्वारा,

अमर नाथ विद्यार्थी,
अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं सचिव ।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।